



पुनरीक्षण याचिका क्रमांक /2016

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र.

अग-3580-8802/16

पुनरीक्षण आवेदक की ओर से :-

देवानंद पिता शंकरलाल कुलम्बी  
आयु 40 वर्ष, धंधा कृषि निवासी- कोद  
तहसील बदनावर जिला धार

— आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन
2. शंकरलाल पिता जगन्नाथ पाटीदार  
निवासी कोद तहसील बदनावर जि. धार
3. सुजीत पिता रमेशचन्द्र पाटीदार  
निवासी इन्दौर

— अनावेदक

पुनरीक्षण धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

महोदय,

यह पुनरीक्षण अधिनस्थ विद्वान न्यायालय तहसीलदार बदनावर द्वारा राजस्व सूचनापत्र क्रमांक 7297/री-1/2016 मे दिनांक 4/10/2016 को दिये गये सूचना पत्र एवं आदेश के विरुद्ध, को दिये गये आलोच्य आदेश से व अपनाई गई प्रक्रिया असन्तुष्ट, अप्रसन्न होकर यह पुनरीक्षण सविनय प्रस्तुत है कि :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3580 -पीबीआर/16 [ देवानंद / शम्भू ] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-11-2016	<p>आवेदक की ओर से श्री दिवाकर, अभिभाषक उपस्थित । उनकी ओर से यह, निगरानी तहसीलदार द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 38 के अंतर्गत जारी सूचना पत्र के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । यह निगरानी इस निर्देश के साथ समाप्त की जाती है कि आवेदक तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत करें ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>